कम्प्यूटर परिपत्र सं०-1415074 दि० 30-9-14

पत्र संख्या-आई0टी0-ई-रिटर्न-(2014-15) / 567 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश

(आई0टी0 अनुभाग)

दिनॉक // लखनऊ // सितम्बर, 30 2014

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर

समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि0अनु0शा0)

समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक/कार्पो0/वि0अनु0शा0)

समस्त डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण)

समस्त असि0 कमिश्नर (कर निर्धारण)

वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।

वाणिज्य कर विभाग द्वारा व्यापारियों को सुविधा देने हेतु ई-रिटर्न की व्यवस्था पूर्व में ही प्रस्तुत की जा चुकी है । वैट व्यवस्था के अन्तर्गत वार्षिक विवरण के प्रारूप को सरलीकृत करते हुए फ़ार्म 52 / 52A / 52 B "Annexure of consolidated details" नये प्रारूप शासनादेश संख्या - क0नि0-2-684 / ग्यारह-9(295)/07-उ0प्र0 वैट नियमावली-08-आदेश- (114)-2004 दिनांक 02-06-2014 के माध्यम से निर्गत किया जा चुका है । अत: मासिक / त्रैमासिक रिटर्नों के अनुरूप ही फ़ार्म 52 / 52A / 52B की फ़ाइलिंग प्रक्रिया को ऑनलाइन निष्पादित किये जाने का निर्णय लिया गया है । वार्षिक विवरण प्रारूप की ई-फ़ाइलिंग हेतु आवश्यक मॉड्यूल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है ।

"Annexure of consolidated details" (फ़ार्म 52/52A/52B) के ऑन लाइन फ़ाइल करने की प्रक्रिया निम्न चरणों में सम्पादित की जायेगी :-

1- व्यापारी को वेबसाइट पर रेजिस्ट्रेशन कराना :-

(a) यदि व्यापारी पूर्व से ही ई-रिटर्न फ़ाइलिंग हेतु Registered है तो पुन: वेबसाइट पर पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है । वे अपने पूर्व से ही प्रयोग किये जा रहे पासवर्ड के माध्यम से ही ई-रिटर्न फ़ाइल कर सकते है ।

(b) व्यापारी द्वारा वेबसाइट पर रेजिस्ट्रेशन कराने हेतु सर्वप्रथम विभागीय वेबसाइट http://comtax.up.nic.in पर E-Services Registration पर Click किया जाएगा ।

(c) ई-सर्विसेज़ हेतु register करने के लिए व्यापारी द्वारा TIN सम्बन्धित Entry Field में अंकित किया जाएगा । टिन अंकित करने पर व्यापारी का नाम, पता तथा कर निर्धारण कार्यालय डेटाबेस से स्वत: अंकित हो जायेगा । इसके पश्चात व्यापारी द्वारा अपना मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आई0डी0 अंकित किया जाएगा । इन सूचनाओं को SUBMIT करके प्रिन्ट आउट अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर करके व्यापारी सुविधा केन्द्र में जमा किया जाएगा ।

(d) व्यापारी सुविधा केन्द्र में प्रिन्ट आउट जमा करने के पश्चात कर निर्धारण अधिकरी द्वारा अधिकतम 03 कार्यदिवसों के अन्दर ऑनलाइन Approval किया जाएगा ।

(e) कर निर्धारण अधिकारी के Approval के पश्चात Password रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आई0डी0 पर प्रेषित किया जाएगा ।

2- व्यापारी द्वारा ऑनलाइन वार्षिक विवरण दाखिल करना :-

(a) व्यापारी द्वारा विभागीय वेबसाइट http://comtax.up.nic.in पर उपलब्ध Offline Tools Section में से फ़ार्म 52/52A/52B से सम्बन्धित Offline Tool Download किया जाएगा ।